24.02.2020 अपीलार्थी द्वारा श्री आर.पी.मिश्रा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी 1 द्वारा अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित।

शेष प्रत्यर्थीगण पूर्व से एकपक्षीय।

अपीलार्थी/वादी द्वारा आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1, 2 धारा 151 जा0दी0 का पेश किया है, जिसे आई.ए.नम्बर 02/19 से चिन्हित किया गया। तर्क श्रवण पश्चात् आदेश द्वारा आई.ए.नम्बर 02/19 का निराकरण किया जा रहा है।

आई ए नंबर 2/19 का निराकरण–

अपीलार्थी/वादी ने दावा आराजी नम्बर 1187 ग्राम रहिकवारा शासकीय आबादी भूमि पर स्थित मकान व बाउन्ड्री के अन्दर भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं अवैधानिक कब्जा हटाये जाने व किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने की याचना चाही थी।

अपीलार्थी/वादी के आवेदन अनुसार अपीलाण्ट रमेश माली की दुर्घटना में गंभीर चोट आ जाने से बिड़ला हास्पिटल सतना में दिनांक 15.03.19 से 20.03.19 भर्ती रहा तथा अभी भी इलाज चल रहा है। इसी दौरान बदनीयतपूर्वक मौके का लाभ उठाकर रेस्पाण्डेंट 1 कलावती ने ग्राम रहिकवारा की आराजी नं0 1187 का जुज भाग 32बाई20 वर्गफुट को अवैधानिक तरीके से बिना किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के ओमकार गुप्ता पुत्र राजाराम गुप्ता ग्राम पोस्ट रहिकवारा को विक्रय कर दिया है। उक्त भूमि पर ओमकार गुप्ता द्वारा पक्की दीवाल का निर्माण किया जा रहा है, मना किये जाने पर निर्माण कार्य बंद नहीं करूंगा की धमकी दिया जा रहा है। अपीलाण्ट का पुत्र सूरज सरपंच ग्राम पंचायत रहिकवारा में उक्त निर्माण कार्य बंद कराये जाने हेतु आवेदन दिया गया परन्तु निर्माण कार्य नहीं रोका गया, बल्कि निर्माण कार्य जोरो पर है। वादग्रस्त भू–भाग में निर्माण कार्य कर स्वत्व में परिवर्तन किया जा रहा है, जिससे अपीलाण्ट के स्वत्व में भारी क्षति होगी। यदि उक्त अवैधानिक निर्माण कार्य को बंद नहीं करवाया गया तो अपीलाण्ट अपने हक की भूमि के उपयोग से वंचित हो जायेगा। अतः आवेदन पत्र स्वीकार करने एवं वादग्रस्त भू–भाग पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

रेस्पाण्डेंड क्रमांक–1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अभिवचन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद 53ए/2016 को दिनांक 30.11.2017 में विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। उसे कतई जानकारी नहीं है कि अपीलाण्ट

के साथ कोई दुर्घटना घटित हुई व वह इलाजरत है। अपीलाण्ट द्वारा मिथ्या आरोप लगाया गया है कि वह ओमकार गुप्ता को प्लाट विक्रय कर दिया है। उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज निष्पादित नहीं करवाया गया है। ओमकार गुप्ता के द्वारा जबरन गढ्ढा खोदा गया है, जिसकी लिखित शिकायत थाना नागौद में 14.02.2019 को की है। अपीलाण्ट के द्वारा ओमकार गुप्ता के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि उसे समस्त कार्यवाही की जानकारी थी। ओमकार गुप्ता की ग्राम पंचायत से मिलीभगत है, वह जबरन स्थानीय सरहंगो एवं ताकत के बल पर उक्त कृत्य किया जा रहा है। अपीलीय प्रकरण में ओमकार गुप्ता आवश्यक पक्षकार नहीं है। अपील प्रकरण में ओमकार गुप्ता को विधिक रूप से संयोजित नहीं किया जा सकता है। आवेदक अतिक्रामक के विरूद्ध पृथक से वाद ला सकता है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में आवेदन का निराकरण अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में स्थापित सिद्वांतों के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। प्रकरण में वादी द्वारा वाद कब्जेयाबी व स्वत्व घ ोषण के संबंध में प्रतिवादी के विरूद्ध किया गया है, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। वादी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा नहीं होना स्वीकृत तथ्य है। वादी द्वारा आवेदन में वादग्रस्त सम्पत्ति पर निर्माण अवैधानिक रूप से ओमकार गुप्ता द्वारा करवाया जाना बताया गया है, जो कि प्रकरण में पक्षकार नहीं है। वादी उसके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा ओमकार गुप्ता को बेचना बताया है, किन्तु वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा ओमकार गुप्ता को बेची गई हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का विक्रय ओमकार गुप्ता को किये जाने इन्कार करती है। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा ओमकार गुप्ता द्वारा स्थानीय सरहंगो के साथ ताकत के बल पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व व मालिकाना हक पर कुठाराघात किया जाना बताया गया है। ओमकार गुप्ता के विरूद्ध ग्राम पंचायत में शिकायत करना भी बताया है। वादग्रस्त सम्पति

में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा निर्माण कराया जा रहा हो प्रमाणित नहीं है। वाद के गैर पक्षकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में इस आवेदन के द्वारा अनुतोष नहीं किया जा सकता।

प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति वादी के पक्ष में नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 39 नियम 1, 2 जा0दी निरस्त किया जाता है।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक 20.04.2020 को पेश हो।

सही/–
(विजय डांगी)
तृतीय अपर जिला न्यायाधीश
नागौद, जिला सतना